न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:— 102 / 2022
निर्णय दिनांक:— 04.03.2024
बइजलास:— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

रामनारायण पुत्र धन्ना पि0मु0 सांवता जाति गुर्जर निवासी कस्बा फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता:— श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील वादी
वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय   दिनांक:— 04.03.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1046 रकबा 5.7661 हैक्टेयर, ख0न0 1055 रकबा 4.5775 हैक्टेयर, ख0न0 1137 रकबा 1.8335 हैक्टेयर, खसरा नं0 1040 रकबा 2.8578 हैक्टेयर, ख0नं0 1060 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, ख0नं0 1089 रकबा 0.9231 हैक्टेयर, ख0नं0 1056 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, ख0नं0 1058 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, ख0नं0 1062 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, ख0नं0 1063 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, ख0नं0 1065 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, ख0नं0 1071 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, ख0नं0 1374 / 1 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, ख0नं0 1374 / 2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, ख0नं0 1050 रकबा 7.8399 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राजस्थान मे स्थित है। एवं ख0न0 362 रकबा 0.9231 है0, ख0न0 364 रकबा 2.2129 है0 भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर हॉल जिला दूदू मे स्थित है। जिसका वादी राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। वर्णित आराजीयात वादी को अपने दत्तक पिता सांवता से विरासतन नामान्तकरण संख्या 1111 दिनांक 03.09.1974 से प्राप्त हुई है, एवं खाता संख्या 562 मे से 1/2 हिस्सा वादी को अपने प्राकृतिक पिता धन्ना से विरासतन प्राप्त हुई है। वरवक्त सांवता पुत्र बालू की विरासत का नामान्तकरण वादी रामनारायण दत्तक पुत्र के नाम खोलते समय पटवारी हल्का ने सहवन से रामनारायण पुत्र धन्ना दत्तक पुत्र सांवता के नाम से नही भरा जाकर, अकेले रामनारायण पि0मु0 सांवता के नाम से भरकर तस्दीक करवा दिया गया जिससे राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता दो अलग–अलग नाम से काफी परेशानियों का सामना करना पड़

लगातार................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

(2)

रहा है, जिससे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। इसलिये वादी को यह वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। जबकि वादी विरासतन समय से मौके पर काबिज काश्त होकर शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में वादी का नाम रामनारायण पुत्र धन्ना व रामनारायण पि.मु. सांवता दोनों नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिससे वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तथा राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं ऋण, मुआवजा आदि से वंचित होना पड़ रहा है। जबकि वादी रामनारायण पुत्र धन्ना व रामनारायण पि.मु. सांवता एक ही व्यक्ति है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी की वल्दीयात दो अलग–अलग दर्ज है, जबकि राजस्व रिकार्ड में सही रूप से रामनारायण पुत्र धन्ना पि.मु. सांवता दर्ज होना चाहिये था, जिससे वादी को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नही करना पड़े। वादी रामनारायण पुत्र धन्ना व रामनारायण पि.मु. सांवता एक ही व्यक्ति है, वादी के अलावा इस ग्राम में इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है एवं वादी का राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भोमाशह सिंडिग प्रपत्र पेन्शनर वार्षिक सत्यापन स्लीप, से पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादी का नाम रामनारायण पुत्र धन्ना दर्ज है, जिनमें भी वादी अपने दत्तक पिता सांवता का नाम अंकन नही हो पा रहा है। इसलिये वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामनारायण पुत्र धन्ना दत्तक पुत्र सांवता रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है, जिससे वादी राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिये वादी उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अभी हाल ही में दिनाक 25.07.2022 को वादी ने अपना नाम दुरूस्त करवाने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर कहा कि इसको सक्षम न्यायालय से आदेश के पश्चात ही राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त किया जा सकता है इसलिये मान्य न्यायालय में वादी द्वारा उक्त वाद घोषण व दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 01 को लैण्ड होल्कर होने से एवं दावा दुरूस्ती इन्द्राज का होने से पक्षकार कायम किया गया है। जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुती से पूर्व 80(2) सी0पी0सी0 के तहत वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की है। पक्षकार की विवादित आराजीयात मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 05.02.2024 के अनुसार रामनारायण पुत्र धन्ना एवं रामनारायण पि.मु. सांवता दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया है। मजमेआम में उपस्थित लोगों ने इस नाम का ग्राम फागी में अन्य कोई व्यक्ति नही होना बताया है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

(3)

साक्ष्य वादी हेतु वादी ने स्वंय का व रामदेव पुत्र भीमाराम जाति गुर्जर आयु 60 वर्ष निवासी कस्बा फागी तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान तथा देवकरण पुत्र सुरजकरण जाति गुर्जर आयु 33 वर्ष निवासी कस्बा फागी तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये तथा अपने शपथ पत्र में बताया कि रामनारायण पुत्र धन्ना व रामनारायण पि.मु. सांवता दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है। इसके पिता के विरासत के अलावा अपने काका सांवता के नाऔलाद फौत होने से उसकी विरासत का नामान्तकरण रामनारायण पि.मु. सांवता के नाम से खोला गया था।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075 वाके ग्राम फागी उत्तर की उक्त विवादग्रस्त आराजी मे वादी का नाम रामनारायण पुत्र मु. सांवता व रामनारायण पुत्र धन्ना जाति गुर्जर हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वादी को जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 1111 दिनांक 03.09.1974 व नामान्तकरण संख्या 475 दिनांक 18.12.1962 से प्राप्त हुई है। ग्राम पंचायत फागी द्वारा दिनांक 20.06.2022 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार वादी रामनारायण पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी फागी जो कि सांवता पुत्र बालू गुर्जर के गोद गया है। रामनारायण पुत्र मु. सांवता व रामनारायण पुत्र धन्ना एक ही व्यक्ति के नाम है। पैरोकार सरकार ने अपने जबाब मे वादी का नाम रामनारायण पुत्र धन्ना एवं रामनारायण पुत्र पि.मु. सांवता दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया है। गवाहन ने भी अपने शपथ पत्र में रामनारायण पुत्र धन्ना व रामनारायण पुत्र पि.मु. सांवता दोनों एक ही व्यक्ति होने का कथन किया है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे व तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1046 रकबा 5.7661 हैक्टेयर, ख0न0 1055 रकबा 4.5775 हैक्टेयर, ख0न0 1137 रकबा 1.8335 हैक्टेयर, खसरा नं0 1040 रकबा 2.8578 हैक्टेयर, ख0नं0 1060 रकबा 0. 2150 हैक्टेयर, ख0नं0 1089 रकबा 0.9231 हैक्टेयर, ख0नं0 1056 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, ख0नं0 1058 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, ख0नं0 1062 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, ख0नं0 1063 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, ख0नं0 1065 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, ख0नं0 1071 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, ख0नं0 1374/1 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, ख0नं0 1374/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, ख0नं0 1050 रकबा 7.8399 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी एवं ख0न0

लगातार.....................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

(4)

362 रकबा 0.9231 है0, ख0न0 364 रकबा 2.2129 है0 भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर हॉल जिला दूदू मे स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन रामनारायण पि0मु0 सांवता व रामनारायण पुत्र धन्ना जाति गुर्जर के स्थान पर रामनारायण पुत्र धन्ना दत्तक पुत्र सांवता दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी को अपने राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

4/3/24.

(राकेश कुमार – II RAS)
उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

रामनारायण बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 102/2022
निर्णय दिनांकः– 04.03.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)
बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

रामनारायण पुत्र धन्ना पि0मु0 सांवता जाति गुर्जर निवासी कस्बा फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा ::–
मु0न0:– 102/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री प्रेमचन्द शर्मा हाजिर रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1046 रकबा 5.7661 हैक्टेयर, ख0न0 1055 रकबा 4.5775 हैक्टेयर, ख0न0 1137 रकबा 1.8335 हैक्टेयर, खसरा नं0 1040 रकबा 2.8578 हैक्टेयर, ख0नं0 1060 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, ख0नं0 1089 रकबा 0.9231 हैक्टेयर, ख0नं0 1056 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, ख0नं0 1058 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, ख0नं0 1062 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, ख0नं0 1063 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, ख0नं0 1065 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, ख0नं0 1071 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, ख0नं0 1374/1 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, ख0नं0 1374/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, ख0नं0 1050 रकबा 7.8399 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी एवं ख0न0 362 रकबा 0.9231 है0, ख0न0 364 रकबा 2.2129 है0 भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर हॉल जिला दूदू मे स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन रामनारायण पि0मु0 सांवता व रामनारायण पुत्र धन्ना जाति गुर्जर के स्थान पर रामनारायण पुत्र धन्ना दत्तक पुत्र सांवता दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी को अपने राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा।**

निज............................मुबलिग..................................बाबत..
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....फीसदी............................सालाना
आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करे।
बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/03/2024 को जारी की गई।

4/3/24
दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू
ओहदा..................

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

4/3/24
उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू